V-190
Cr.J.(E)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1898

In the Court of **SHWETA KHARE, J.M.F.C. TONKKHURD DIST. DEWAS** (M.P.)

Case No SUM 250 of 2022 Complaint of report made on .... Name and address of the complainant .... आरक्षी केन्द्र आबकारी वृत टोंकखुर्द

Name, parentage, caste and address of accused

अंतरसिंह पिता मेनसिंह
उम्र · 65 वर्ष
निवासी - ग्राम इलासखेड़ी

The offence complained of, and date of its alleged commission

1– आप दिनांक–30.07.22 के 8:00 बजे स्थान–ग्राम इलासखेड़ी पर वैध अनुज्ञप्ति के बिना 30 पाव/लीटर शराब (प्लेन/मसाला/अंग्रेजी/हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब) अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में रखे/विक्रय करते पाये गये?

ऐसा कर आपने धारा 34(1)क/ख म0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया है। जो इस न्यायालय के संज्ञान में होकर विचारण क्षेत्राधिकार में है। आप अभियुक्त/अभियुक्तगण उक्त जुर्म स्वीकार करते हो अथवा विचारण चाहते हो।

(श्वेता खरे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
टोंकखुर्द जिला देवास म0प्र0
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
टोंकखुर्द जिला देवास (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination (if any)

अभियुक्त का अभिवाक:–

मुझे जुर्म स्वीकार है।

अंतरसिंह

(श्वेता खरे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
टोंकखुर्द जिला देवास म0प्र0
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
टोंकखुर्द जिला देवास (म.प्र.)

The offence proved, if any, and in case under clause (d) clause(e) clause (f) clause(g) of sub-section (i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offeance has been committed.

— : : : निर्णय : : : —

(आज दिनांक— 13-10-22 को घोषित)

1— स्वेच्छिक जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को धारा 34 (1) क/ख म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषी करार दिया जाता है।

2— आरोपी के कृत्य को देखते हुए उसे परीविक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

3— आरोपी को धारा 34(1)क/ख म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अपराध में 5000/— रूपए के अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम पर दोषी को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

4— प्रकरण मे जप्तशुदा शराब नष्ट की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित
कर घोषित किया गया।

(श्वेता खरे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
टोंकखुर्द जिला देवास म0प्र0

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तेह. टोंकखुर्द जिला देवास (म.प्र.)

मेरे निर्देशन में टंकित किया।

(श्वेता खरे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
टोंकखुर्द जिला देवास म0प्र0

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तेह. टोंकखुर्द जिला देवास (म.प्र.)